भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 सितम्बर, 2017

संख्या लैज. 18/2017.– वाई एम सी ए यूनिवॅःस्–इटि ऑव़ साइअॅन्स ऐन्ड टे'क्नॉलॅजि फरीदाबाद (अॅमे'न्डमेंट) ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम सितम्बर, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18

वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

फरीदाबाद (संशोधन) अधिनियम, 2017

वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

फरीदाबाद अधिनियम, 2009, को आगे

संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

2009 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 2 का संशोधन।

2. वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद अधिनियम, 2009 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–

(ख) ''महाविद्यालय'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित या से अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय;';

(ii) खण्ड (ज) और (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः–

'(ज) ''संस्था'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित, या से अनुमति प्राप्त महाविद्यालय न होते हुए, कोई शैक्षणिक संस्था;

(झ) ''क्षेत्रीय केन्द्र'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित या से अनुमति प्राप्त कोई क्षेत्रीय केन्द्र ;';

(iii) खण्ड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–

'(ट) ''मान्यताप्राप्त अध्यापक'' से अभिप्राय है, ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किए गए हैं;'।

2009 के हरियाणा अधिनियम 21 में धारा 3क का रखा जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''3क. शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग.– (1) क्षेत्र की सीमायें जिनके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा ऐसी होंगी, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करेः

परन्तु भिन्न–भिन्न संकायों के लिए भिन्न–भिन्न क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथावर्णित विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं में खोले जाने वाले किसी महाविद्यालय को, इस विश्वविद्यालय से सहबद्ध करवाना होगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित कोई महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाये, से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से सहयुक्त तथा अनुमति प्राप्त समझा जायेगा तथा वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त नहीं रहेगा तथा भिन्न–भिन्न महाविद्यालयों के लिये भिन्न–भिन्न तिथियां अधिसूचित की जा सकती हैं:

परन्तु–

(i) उक्त तिथि से पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र का कोई विद्यार्थी, जो उस विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या उपाधि–पत्र परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, उसकी तैयारी के संबंध में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिये, उस विश्वविद्यालय में लागू अध्ययन के पाठ्यचर्या के अनुसार, ऐसी अवधि, जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जाए, के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा;

(ii) कोई ऐसा विद्यार्थी, जब तक कोई ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जाती है, तब तक अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है और उसे उस विश्वविद्यालय की ऐसी उपाधि, उपाधि–पत्र या कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदत्त किया जा सकता है, जिसके लिए वह ऐसी परीक्षा के परिणाम पर अर्हता प्राप्त करता है।''।

2009 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(i) खण्ड (न) में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(ii) खण्ड (न) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :–

''(प) धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थाओं, महाविद्यालयों और क्षेत्रीय केन्द्रों तथा इसके विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों, संस्थाओं और क्षेत्रीय केन्द्रों को अनुरक्षित करना और महाविद्यालयों, संस्थाओं या क्षेत्रीय केन्द्रों को असम्बद्ध करना, यदि वे अधिनियम, उसमें दिए गए परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं;

(फ) किसी महाविद्यालय, संस्था, क्षेत्रीय केन्द्र या किसी विभाग को किसी स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में घोषित करना।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55622—L.R.—H.G.P., Chd.